

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-113/2025 3018 /पटना, दिनांक- 10.3.2025  
संवेदक Rajesh Kumar (Registrarion No.1190504) Add:- Birpur, Dist-Begusarai,  
Pincode-851127 को कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत L025  
Anandpur Maran to Paras mushahri (Track 11) RCC Bridge in 2nd KM (स्वीकृत लंबाई 178.80  
मी0) पुल का कार्य ससमय नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य  
विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 1677 अनु0 दिनांक 21.10.2024 द्वारा संबंधित  
संवेदक से कारण पृच्छा की गयी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के सकारण आदेश  
ज्ञापांक 124 अनु0 दिनांक 24.01.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित की  
गयी।


तदालोक में संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया  
गया है कि रैफरेन्स वाद का निष्पादन होने तक कोई कार्रवाई न की जाय।

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि  
समाधान यात्रा (जनवरी-2023) के दौरान उक्त पुल का निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री  
कोषांग एवं जिलाधिकारी कार्यालय में दिये गये आवेदन के फलस्वरूप कार्य प्रमंडल, खगड़िया  
का पत्रांक 154 अनु0 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जमीन पैमाईश करने हेतु अंचलाधिकारी,  
अलौली से अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी, अलौली के पत्रांक 448 दिनांक 01.03.2023  
द्वारा जमीन का पैमाइश करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित पुल का निर्माण स्थल  
एवं पहुँच पथ (150mX2= 300m) सरकारी जमीन है।

साथ ही नोडल पदाधिकारी PMGSY द्वारा उल्लेखित किया गया है कि कार्यपालक  
अभियंता द्वारा संदर्भित पुल के एकरारनामा को विखंडित किये जाने के पश्चात् पुनरीक्षित  
प्राक्कलन तैयार कर समर्पित की गयी। विभागीय पत्रांक 712 दिनांक 25.02.2025 द्वारा  
पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन (राशि 1146.034 लाख) प्रदान किया गया। बचे हुये कार्यों को  
पूर्ण करने हेतु निविदा की प्रक्रिया के पश्चात् दिनांक 14.05.2025 को संवेदक Yaduvansham  
Infrastructure Private Limited को आवंटित किया जा चुका है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पुल का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना संवेदक  
Rajesh Kumar (Registrarion No.1190504) पूर्णतः दोषी हैं

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन  
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की  
कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Rajesh Kumar  
(Registrarion No.1190504) Add:- Birpur, Dist-Begusarai, Pincode-851127 के निबंधन  
संख्या:-1190504, PAN No. AWIPK0894Q को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत  
(Blacklist) किया जाता है।


  
(जय किशोर ठाकुर)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-113 / 2025

3018

/पटना, दिनांक- 10.3.28

प्रतिलिपि- संवेदक Rajesh Kumar (Registration No.1190504) Add:- Birpur, Dist- Begusarai, Pincode-851127 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
09.03.26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 10.3.28

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-113 / 2025

3018

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
09.03.26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-113 / 2025

3018

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
09.03.26


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-113 / 2025

3018

/पटना, दिनांक- 10.3.28

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
09.03.26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 10.3.28

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-113 / 2025

3018

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

  
09.03.26

अभियंता प्रमुख